

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स रामानुज शर्मा, मे० यशवंत जी परमार, मे० पुरुषोत्तम शरण प्रशान्त द्वारा गया जिला के अंचल-परैया एवं गुरुआ, गया मोरहर-26 बालू घाट, मोरहर-27 बालू घाट एवं मोरहर-28 बालू घाट, ग्राम-बाली, बाघी और उसवा, कोठा और शेरपुर, अमीरगंज, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-240.9 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-30.09.2020 को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, गुरुआ, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1160/2020, दिनांक-24.07.2020, पत्र संख्या- SIA/1(a)/1047/2020, दिनांक-21.07.2020 एवं पत्र संख्या- SIA/1(a)/1048/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (वि०जा०), गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक-23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. झा, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ई० नीतिश कुमार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः खनिज निकासी व ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक व ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 98 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। बालू खनन का कार्य बहुत पुरानी विधि है परन्तु खनन क्रिया में पहले से

बहुत सुधार हुआ है। खनन क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। खनन क्षेत्र के आस-पास विस्तृत परियोजना विवरणी बनाया जाता है तथा सभी स्थितियों में वातावरण अनुकूल रहे इसका ख्याल रखा जाता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री राकेश कुमार, पिता-श्री नरेश सिंह, ग्राम+पो0-बाली, प्रखण्ड-परैया, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए क्या-क्या करेंगे।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षारोपण किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए पूर्ण रूप से मरम्मत की हुई वाहनों का उपयोग किया जायेगा। वाहनों द्वारा बालू की ढुलाई तिरपाल से ढककर किया जायेगा। वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2. श्री सुरेन्द्र मांझी, पिता-श्री मानकी मांझी, ग्राम-अमीरगंज, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं। बालू ढुलाई से सड़क खराब हो जाता है इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सबसे पहले रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। बालू ढुलाई से सड़क खराब हो जाने पर मरम्मत का कार्य पट्टाधारक द्वारा की जायेगी तथा ऐसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी जिससे आम लोगों को परेशानी न हो।

3. श्री मनोज यादव, पिता-स्व0 देवकी यादव, ग्राम-अमीरगंज, पो0+थाना-गुरुआ, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा रोजगार देने के बाद किसी तरह का प्रमाण पत्र की व्यवस्था है या नहीं।

उत्तर- सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा बताया गया कि इस कार्य में प्रमाण पत्र देने का कोई नियम नहीं है।

4. श्री डबलू कुमार, पिता-श्री मुन्द्रिका सिंह, ग्राम-उसवा, गुरुआ, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि पेय जल की व्यवस्था क्या होगी।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कॉरपोरेट समाजिक दायित्व के तहत खर्च होने वाली राशि से पट्टेधारक द्वारा ग्रामीणों की सहमति से चापाकल की व्यवस्था की जायेगी।

5. श्री नगीना पासवान, पिता-श्री सूर्यदेव पासवान, ग्राम-अमीरगंज, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोगों को अपने घर बनाने के लिए बालू कम दर में मिलेगा या नहीं।


H

उत्तर- अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू का दर सरकार निर्धारित करती है। बालू का दर बालू घाट के सूचना पट्टिका पर दर्शाया रहेगा। सभी के लिए दर समान रहेगा।


सहायक पर्यावरण अभियंता, बि०रा०प्र०नि० पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

  
30-9-20








सहायक पर्यावरण अभियंता  
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्षद, गया।

  
30.9.20

अपर समाहर्ता (वि०जा०)  
गया

## उपस्थिति सूची

मे० रामानुज शर्मा, मे० यशवंत जी परमार, मे० पुरूषोत्तम शरण प्रशान्त द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-परैया एवं गुरूआ के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-26, मोरहर घाट-27, मोरहर घाट-28 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, गुरूआ, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 30.09.2020 (बुधवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सिनील कुमार शर्मा	मोरहर-परैया परैया गया	
2.	शरदु नाथ शर्मा सहाय परिवार अलिपौर	बि० रा० प्र० नि० पर्वट परैया -	
3.	Et. Nitish kumar	परिवारणीय मल्लिकार्जुन परैया	Nitish kr.
4.	JYOTISH KUMAR	परैया	Jyotish kr.
5.	करीम शर्मा	विहार राज प्र० इलाका गिरीपुर पर्वट, परैया	
6.	सुभाष शर्मा	अलिपौर	
7.	Purushottam Sharan Prashant	Deoghar	
8.	Maheshwar Prasad	परैया	M.P.
9.	यशवंत जी परमार	गुरुआ - (सुल्तानपुर जिला, रामगढ़)	
10.	बिगत सिंह	गुरूआ बाजार	बिगत सिंह
11.	पद्म शर्मा	सोरापुर	
12.	मन्जीम कुमारी	रा० प्र०	मन्जीम कुमारी
13.	Dhruv Kumar	गुरूआ परैया	Dhruv Kumar